



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1713/2026

राम बाबू तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अखिलेश चंद्र शुक्ला, देवेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादीयों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी-प्रतिवादीयों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2- उप जिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक तहसील चायल कौशाम्बी को यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत वाद संख्या 8235/2024, कंप्यूटर वाद संख्या टी202402420508235 (राम बाबू तिवारी बनाम उमाशंकर तिवारी) की कार्यवाही को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देने के लिए की गई है।
4. यह तर्क दिया गया है कि काफी समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
6. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 2- उप जिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक तहसील चायल कौशाम्बी को निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय, कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से करें, तथा पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"